भारत सरकार/ **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय/ **MINISTRY OF FINANCE**
आयकर विभाग/ **INCOME TAX DEPARTMENT**
OFFICE OF THE INCOME TAX OFFICER
WARD 10(1),HYDERABAD

INWARD No. 179 Date 28/7/17

सेवा में/ To, SILVER OAK REALTY 5-4-187/3&4 II FLOOR 5-4-187/3&4 II FLOOR ,SOHAM MANSION M G ROAD RANIGUNJ 500003 ,Telangana India	

स्थायी लेखा संख्या/ PAN:	निर्धारण वर्ष/ AY:	नोटिस संख्या / Notice No.:	दिनांक/ Dated:
ACXFS3783R	**2016-17**	**ITBA/AST/S/143(2)/2017-18/1005049248(1)**	**25/07/2017**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस

Notice under section 143(2) of the Income Tax Act, 1961

सीमित संवीक्षा (कम्प्यूटर आधारित संवीक्षा चयन)

Limited Scrutiny (Computer Aided Scrutiny Selection)

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

यह आपको सूचित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष **2016-17** की आयकर विवरणी जो कि पावती संख्या **496749381141016** दिनांक **14/10/2016** को दाखिल किया गया था, सीमित संवीक्षा हेतु चयनित है।

This is for your kind information that the return of income for Assessment Year **2016-17** filed vide ack. no. **496749381141016** on **14/10/2016** has been selected for Scrutiny.

परीक्षण हेतु निम्नलिखित विषय चिन्हित हैं।

Following issue(s) have been identified for examination:

i. Whether the share capital is genuine and from disclosed sources.
ii. Whether value of consideration for computation of capital gains has been correctly shown in the return of income.

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में, मैं आप को उपर्युक्त आयकर विवरणी के समर्थन में दिनांक **23/08/2017** को **02:20 PM** या उसके पहले कोई साक्ष्य/सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता/करती हूँ ।

In view of the above, I would like to give you an opportunity to produce any evidence/information which you feel is necessary in support of the said return of income on or before **23/08/2017** at **02:20 PM**.

3. उपरोक्त वर्णित साक्ष्य/ सूचना, आयकर विभाग की ई- फाईलिंग वेबसाइट में उपलब्ध ' ई- प्रोसिडिंग' सुविधा के माध्यम से अपने एकाउन्ट द्वारा प्रेषित करनी है। आगे की कार्यवाहियॉं भी इलेक्ट्रानिक (*) तरीके से संचालित की जाऐंगी। ई प्रोसेडिंग की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त नोट संलग्न है।

The above mentioned evidence/information is to be furnished online electronically in 'E-Proceeding' facility through your account in e-Filing website of Income-tax Department. Further proceedings shall also be conducted electronically (*). A brief note on salient features

of 'E-Proceeding' is enclosed.

4. यदि आप कोई सूचना/ साक्ष्य, जैसा कि अनुच्छेद 2 में वर्णित है, नहीं देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दिनांक **23/08/2017** को या उसके पहले इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करें।

In case you do not wish to produce any evidence/information, as mentioned in para 2, you are requested to intimate the same electronically on or before **23/08/2017**.

5. यदि आवश्यक हुआ तो बाद में निश्चित प्रश्नावली/सूचना का मांग पत्र या दस्तावेज भेजे जायेंगे।

Specific questionnaires/requisition of information or documents would be sent subsequently, if required.

6. यदि आयकर विभाग की ई- फाईलिंग वेबसाइट में आप का एकाउन्ट है तो अनुच्छेद (2) से (4) लागू है। जबतक आप के द्वारा इस प्रकार का एकाउन्ट नहीं बनाया जाता है, कर निर्धारण की कार्यवाहियॉं या तो ई- मेल के द्वारा या लिखित रूप से प्रस्तुत करना होगा(यदि ई-मेल उपलब्ध नहीं है)।

Para(s) (2) to (4) are applicable if you have an account in e-Filing website of Income-tax Department. Till such an account is created by you, assessment proceedings shall be carried out either through your e-mail account or manually (if e-mail is not available).

(*) संलग्न नोट के अपवाद पर आधारित

(*) Subject to exceptions as per the enclosed note

मुहर/Seal

आयकर अधिकारी
Income Tax Officer
वार्ड-10(3), हैदराबाद
Ward-10(3), Hyderabad

भवदीय,

Yours faithfully,

~~SHYAM KUMAR SURAPUR~~
~~WARD 10(1),HYDERABAD~~

(सरला बसवराजु)
(SARALA BASAVARAJU)
आयकर अधिकारी
Income Tax Officer
वार्ड-10(3), हैदराबाद
Ward-10(3), Hyderabad

ई- प्रोसेडिंग की मुख्य विशेषताएं

Salient features of 'E-Proceeding'

आयकर विभाग ने निर्धारण की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए ई- गवर्नेंस के हिस्से के बतौर ई- प्रोसेडिंग की सुविधा शुरू की है। यह विभाग एवं निर्धारती के मध्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारण की कार्रवाई के लिए आयकर कार्यालय जाने की जरूरत के बिना आवश्यकता के संप्रेषण का सहज माध्यम है। यह करदाता की मैत्रीपूर्ण सुविधा निर्धारती के लिए अनुपालन की मुश्किलों को कम कर देगा।

As part of e-governance initiative to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has launched 'E-Proceeding' facility. It is a simple way of communication between the Department and assesses, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This taxpayer friendly measure would substantially reduce the compliance burden for the assessee.

- निर्धारण कार्यवाही में ' ई- प्रोसेडिंग' ई- फाईलिंग वेबसाइट में निर्धारण अधिकारी से संबधित निर्धारती के एकाउंट में पत्र (ओं), प्रश्नावली (यों), आदेश (शो) आदि के बाधारहित प्रवाह को सुनिश्चित करेगी। विभागीय पत्राचार प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारती अपने संलग्नकों के साथ अपनी प्रतिक्रिया ई- फाईलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। निर्धारती द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को निर्धारण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर बिजनेस एप्लीकेशन (आई टी बी ए) मॉड्यूल पर देखा जाएगा। इसके अलावा यह करदाता के बहुमूल्य समय की बचत करते हुए निर्धारण प्रक्रिया के दौरान विभागीय पूछताछ पर प्रतिक्रिया देने में भी यह 24x7 कभी भी/ कहीं भी मदद उपलब्ध कराएगा। जिन करदाताओं का अब तक आयकर विभाग की ई- फाईलिंग वेबसाइटपर एकाउंट नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे ई- फाईलिंग वेबसाइट (*www.incometaxindiaefiling.gov.in*) पर साधारण निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकृत कराएं।

  In assessment proceeding, 'E-Proceeding' would enable seamless flow of Letter(s)/Notice(s), Questionnaire(s), Order(s) etc. from Assessing Officer to the concerned assessee's account in e-Filing website. On receipt of Departmental communication, assessee would be able to submit the response along with attachments by uploading the same, on e-Filing portal. The response submitted by the assessee would be viewed by the Assessing Officer electronically in Income Tax Business Application (ITBA) module. This would, besides saving precious time of the taxpayer, would also provide a 24X7 anytime/anywhere convenience to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings. The taxpayers, who are not yet having an account on the e-Filing website of the Income-tax Department, are requested to get registered by following simple instructions in the e-Filing website (*www.incometaxindiaefiling.gov.in*).

- निर्धारती अपने ई- फाईलिंग पोर्टल के एकाउंट पर निर्धारण प्रक्रिया की कार्यवाही के दौरान किए गए सभी ई- सबमिशन(प्रस्तुती) की सूचनाएं ई- प्रोसिंडिंग की सुविधा द्वारा संदर्भ एवं रिकॉर्ड के उद्देश्य से सुरक्षित रख सकते है।

  Assesses would retain complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings through 'E-Proceeding' facility for reference & record purpose in his e-Filing portal account

- निम्नांकित स्थितियों में सुनवाई/ दस्तावेजों का प्रेषण मेन्यूअली किया जा सकता है।

  I. जहां लेखा की मॅन्यूअल पुस्तकें या मूल दस्तावेजों की जांच की जानी हो ।

  II. जहां आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 के प्रावधानों को निर्धारण अधिकारी को लागू करना हों।

  III. जहां संबंधित निर्धारती या विभाग द्वारा गवाह या साक्ष्य का परीक्षण आवश्यक हो।

  IV. जहां किसी विरोधाभासी तथ्य पर कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और निर्धारती ने मामले की व्याख्या के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया हो।

Hearing/submission of document(s) may be conducted manually, if required, in following situation(s):

I. where manual books of accounts or original documents have to be examined;

II. where Assessing Officer invokes provisions of section 131 of Income-tax Act, 1961;

III. where examination of witness is required to be made by the concerned assessee or the Department

IV. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter;

- निर्धारण कार्यवाहियाँ कागज के बिना होने के कारण यह पहल पर्यावरण के हित में है।

  This initiative is environment friendly as assessment proceedings would become paperless.